कार्यालय, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
पत्र संख्याः 568 /नैविप्रा/2016-17 दिनांक-27/6/2016

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-837/V-2-2016-127 (आ0)15-टी0सी0, दिनांक 03.06.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन-2015) प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या-2015/V/आ0-2015-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(अवनेन्द्र सिंह नयाल)
अध्यक्ष,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. मुख्य वित्त अधिकारी, नै0झी0प0वि0क्षे0वि0प्रा0, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं समस्त अवर अभियन्ता, नै0झी0प0वि0क्षे0 वि0प्रा0, नैनीताल।
4. समस्त लिपिक, नै0झी0प0वि0क्षे0वि0प्रा0, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

(अवनेन्द्र सिंह नयाल)
अध्यक्ष,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल